न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 13 सन 2019
अनवान :–

1. भैरूसिह पुत्र धोकलसिह जाति राजपूत साकिन धानसीया तहसील नोहर।
2. रूपसिह (फोत)
   2/1 रितुकंवर पत्नी स्व रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसीया तहसील नोहर
   2/2 विक्रमसिह पुत्र स्व रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसीया तहसील नोहर
   2/3 महेन्द्रसिह पुत्र स्व रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसीया तहसील नोहर
   2/4 मीराकंवर पुत्री स्व रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसीया तहसील नोहर
   2/5 सुमित्राकंवर पुत्री स्व रूपसिह जाति राजपूत साकिन धानसीया तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. मंगेज कवंर पत्नी भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसीया तहसील नोहर।
2. राजूसिह पुत्र भैरूसिह जाति राजपूत साकिन धानसीया तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा धानसीया के खसरा न0 1028 मिन की 49.10 बीधा जिसमें भादरसिह पुत्र छतूसिह के 271 हिस्से रूपसिह के 611 हिस्से व भेरूसि हके 108 हिस्से यानी 990 हिस्से थी उपरोक्त 49.10 बीधा भूमि में से रूपसिह पुत्र छतुसिह ने दिनांक 15.10.1985 को 611 हिस्से अर्थात 30.11 बीधा भूमि वादीगण को बेचान कर दी इसीप्रकार भादरसिह पुत्र छतूसिह ने दिनांक 31.01.1986 को 271 हिस्से यानी 13.11 बीधा भूमि को वादीगण बहिब बेय कर दी इसप्रकार वादीगण कुल 882 हिस्से यानी 44.02 बीधा भूमि के खातेदार काश्तकार हुए जो राजस्व रिकार्ड में वाद की मद संख्या 3 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी।

भैरूसिह पुत्र छतूसिह फोत हो गये जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है भैरूसिह की पुत्रियों ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में दस्तबरदारी करवा दी इसलिये भैरूसिह के हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हक हिस्सा है।

राजस्व विभाग के कर्मचारीयो नं वादीगण के 882 हिस्से की बजाय 802 हिस्से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के 108 हिस्से की बजाय 100 हिस्से दर्ज कर दिये अर्थात हिस्सा कस्सी गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर रोही मोजा धानसीया के खाता संख्या 335/338 के खसरा न0 1028 /2 की 49.10 यानि 12.5235हैक में वादीगण के 802 हिस्से के बजाय 882 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के 100 हिस्से की बजाय 108 हिस्से के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील वादीगण को सुना गया।

वकील वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसीया के खसरा न0 1028 मिन की 49.10 बीधा जिसमें भादरसिह पुत्र छतूसिह के 271 हिस्से रूपसिह के 611 हिस्से व भेरूसि हके 108 हिस्से यानी 990 हिस्से थी उपरोक्त 49.10 बीधा भूमि में से रूपसिह पुत्र छतुसिह ने दिनांक 15.10.1985 को 611 हिस्से अर्थात 30.11 बीधा भूमि वादीगण को बेचान कर दी इसीप्रकार भादरसिह पुत्र छतूसिह ने दिनांक 31.01.1986 को 271 हिस्से यानी 13.11 बीधा भूमि को वादीगण बहिब बेय कर दी इसप्रकार वादीगण कुल 882 हिस्से यानी 44.02 बीधा भूमि के खातेदार काश्तकार हुए जो राजस्व रिकार्ड में वाद की मद संख्या 3 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी।

भैरूसिह पुत्र छतूसिह फोत हो गये जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है भैरूसिह की पुत्रियों ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में दस्तबरदारी करवा दी इसलिये भैरूसिह के हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हक हिस्सा है।

राजस्व विभाग के कर्मचारीयो नं वादीगण के 882 हिस्से की बजाय 802 हिस्से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के 108 हिस्से की बजाय 100 हिस्से दर्ज कर दिये अर्थात हिस्सा कस्सी गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसीया के खसरा न0 1028 मिन की 49.10 बीधा जिसमें भादरसिह पुत्र छतूसिह के 271 हिस्से रूपसिह के 611 हिस्से व भेरूसि हके 108 हिस्से यानी 990 हिस्से थी।

उक्त भूमि में से 49.10 बीधा भूमि यानी 990 हिससे में से रूपसिह पुत्र छतूसिह ने दिनांक 15. 10.1985 को 611 हिस्से भूमि का बेचान वादीगण को किया गया था इसीप्रकार भादरसिह पुत्र छतुसिह ने दिनांक 31.01.1986 को 271 हिस्सा भूमि का बेचान वादीगण को किया गया था जो प्रस्तुत बेयनामा से साबित है उक्त बेयनामा के अनुसार वादीगण के कुल 882 हिस्से यानी 44.02 बीधा के खातेदार काश्तकार है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण के 882 हिस्से के बजाय 802 हिस्से एवं प्रतिवादी के 108 हिस्से के बजाय 100 हिस्से दर्ज किये गये है जो राजस्व रिकार्ड संधारण के समय गलत हुआ है जिसे वादीगण संशोधन करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा धानसीया के खाता संख्या 335/338 के खसरा न0 1028 /2 की 49.10 यानि 12.5235हैक में वादीगण के 802 हिस्से के बजाय 882 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के 100 हिस्से की बजाय 108 हिस्से के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

Sd/- ajay

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Leo Copy Not Official